दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय दिया गया: 16.08.2024

नि.प्र.अ.(वाणि) 181/2023 एवं सि.वि.आ. 44098/2023

पद्मश्री क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री प्रवीण माहेश्वरी, अधिवक्ता

बनाम

शीतल साडीज और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: कोई नहीं।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल
[भौतिक/प्रत्यक्ष सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

न्या. राजीव शकधर (मौखिक):

सि.वि. संख्या 44098/2023

1. न्यायसंगत अपवादों के अधीन, अनुमति है।

नि.प्र.अ.(वाणि) 181/2023

2. यह अपील दिनांक 05.06.2023 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर किए गए वाद, जिसमें 11,68,942/- रुपये और 01.04.2018 से वाद दायर करने की तिथि तक 0.05% प्रति दिन की ब्याज दर पर बने 5,61,092/- रुपये के ब्याज की वसूली की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया था।

3. कुल मिलाकर, अपीलार्थी/वादी ने प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 को आपूर्ति किए गए माल के बदले 17,30,034/- रुपये की वसूली का दावा किया।

4. अभिलेख से पता चलता है कि यद्यपि वाद में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस दिया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए और इसलिए उनके खिलाफ 08.04.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4.1 परिणामस्वरूप, अपीलार्थी/वादी ने अपना मामला स्थापित करने के लिए एकपक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत किया।

5. हालांकि, विचारण न्यायालय ने इस आधार पर वाद खारिज कर दिया कि निदेशक बोर्ड के प्रस्ताव [प्र.अभि.सा. 1/3] में निदेशक, यानी अपीलार्थी/वादी के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम नहीं था।

6. उल्लेखनीय है कि श्री मदन कुमार जिंदल [अभि.सा-1] ने अपना साक्ष्य-शपथपत्र दायर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे अपीलार्थी/वादी-कंपनी के निदेशक हैं।

6.1 निदेशक बोर्ड [प्र.अभि.सा.1/3] द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा श्री मोहन कुमार जिंदल को प्राधिकार प्रदान किया गया।

6.2 अपीलार्थी/वादी के अनुसार, इस त्रुटि के कारण वाद खारिज कर दिया गया।

7. हमारी राय में, विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि इस मामले में अनुसमर्थन का सिद्धांत लागू होगा।

8. यद्यपि अपीलार्थी/वादी कंपनी के निदेशक के नाम के संबंध में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव में त्रुटि हो गई थी, फिर भी तथ्य यह है कि अपीलार्थी/वादी अपने निदेशक, जो कि उसका अधिकृत प्रतिनिधि है, के माध्यम से वाद की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहा था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था कि वाद व्यवहार्य था।

9. ***यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम नरेश कुमार एवं अन्य*** (1996) 6 एससीसी 660 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं, जिन्हें यहां उद्धृत किया जा रहा है:

"9. वर्तमान जैसे मामलों में जहां किसी सार्वजनिक निगम की ओर से वाद दायर किया जाता है या उसका बचाव किया जाता है, वहां केवल तकनीकी आधार पर लोक हित को पराजित नहीं होने दिया जाना चाहिए। प्रक्रियागत दोष जो मामले की जड़ तक नहीं जाते, उन्हें न्यायोचित कारण को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त है कि किसी भी पक्षकार के साथ अन्याय न हो, जिसका मामला उचित हो। जहां तक संभव हो किसी प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण, जिसका सुधार किया जा सकता है, किसी मूल अधिकार को नष्ट नहीं होने दिया जाना चाहिए।

10. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी जैसी कंपनी अपने नाम से मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 के तहत अभिवचन पर पक्षकार और उसके प्लीडर, यदि कोई हो, द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। चूँकि एक कंपनी एक न्यायिक इकाई है, इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को कंपनी की ओर से अभिवचनों पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 29 नियम 1 में यह प्रावधान है कि निगम द्वारा या उसके विरुद्ध दायर वाद में निगम का सचिव या कोई निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी, जो मामले के तथ्यों के संबंध में गवाही देने में सक्षम हो, कंपनी की ओर से हस्ताक्षर कर सकता है और सत्यापन कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 को आदेश 29 नियम 1 के साथ पढ़ने पर यह प्रतीत होता है कि किसी औपचारिक प्राधिकार पत्र या मुख्तारनामा के निष्पादन के अभाव में भी, आदेश 29 के नियम 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति, अपने पद के आधार पर, निगम की ओर से अभिवचनों पर हस्ताक्षर कर सकता है तथा उन्हें सत्यापित कर सकता है। इसके अतिरिक्त तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 29 नियम 1 के अतिरिक्त, चूंकि कंपनी एक विधिक इकाई है, वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से वादपत्र या लिखित कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत कर सकती है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा। किसी व्यक्ति को कंपनी की ओर से अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने के लिए स्पष्ट रूप से प्राधिकृत किया जा सकता है, उदाहरण के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके या किसी व्यक्ति के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित करके। इसके अभाव में तथा ऐसे मामलों

में जहां अभिवचनों पर उसके किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, निगम अभिवचनों पर हस्ताक्षर करके अपने अधिकारी की उक्त कार्रवाई की पुष्टि कर सकता है। इस प्रकार का अनुसमर्थन व्यक्त या निहित हो सकता है। न्यायालय, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, तथा मामले की सभी परिस्थितियों, विशेषकर विचारण के संचालन के संबंध में, को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि निगम ने अपने अधिकारी द्वारा अभिवचन पर हस्ताक्षर करने के कार्य की पुष्टि की थी।

11. निचले न्यायालय यह मान सकते थे कि श्री एल.के. रोहतगी को अपीलार्थी की ओर से वादपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होना चाहिए था। वैकल्पिक रूप से, यह मानना वैध होता कि जिस तरीके से वाद चलाया गया, उससे पता चलता है कि अपीलार्थी-बैंक ने वादपत्र पर हस्ताक्षर करते समय श्री एल.के. रोहतगी की कार्रवाई की पुष्टि की होगी। यदि, किसी भी कारण से, निचले न्यायालय अभी भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ थे, तो अपीलीय न्यायालयों में से किसी को भी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 (1) (ख) के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए था और एक उचित मुख्तारनामा पेश करने का निर्देश देना चाहिए था या वे श्री एल.के. रोहतगी या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को गवाह के रूप में जांचने का आदेश दे सकते थे ताकि श्री एल.के. रोहतगी के वादपत्र पर हस्ताक्षर करने के अधिकार या अनुसमर्थन को साबित किया जा सके। न्यायालय द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि किसी वास्तविक दावे को अस्वीकार करके अन्याय न हो।"

10. विचारण न्यायालय अपीलार्थी/वादी से साक्ष्य के स्तर पर भी त्रुटि सुधारने के लिए कह सकता था, क्योंकि किसी भी स्थिति में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

11. अभिलेख से पता चलता है कि इस अपील में नोटिस 27.09.2023 को एक समन्वय पीठ द्वारा जारी किया गया था।

12. नोटिस की तामील के बावजूद, प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने उपस्थित न होने का निर्णय लिया है। हालाँकि हमने 14.03.2024 को प्रत्यर्थीगण /प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने को स्थगित कर दिया था, लेकिन हमारा विचार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को अपील का बचाव करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

13. इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। वाद को उसकी मूल संख्या और स्थिति में बहाल कर दिया गया है।

14. अपीलार्थी/वादी 17.09.2024 को अपने अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. विचारण न्यायालय इस मामले में कानून के अनुसार अगला कदम उठाएगा। विचारण न्यायालय अपीलार्थी/वादी को निदेशक बोर्ड के सही प्रस्ताव को अपने अभिलेख में रखने का अवसर देगा।

16. अपील का निपटान उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

17. रजिस्ट्री आज पारित निर्णय की एक प्रति प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को पक्षकारगण के ज्ञापन में दिए गए पते पर भेजेगी।

18. पक्षकारगण निर्णय की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के आधार पर कार्य करेंगे।

न्या. राजीव शकधर

न्या. अमित बंसल

16 अगस्त, 2024/एजे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*